FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No--- **Dated-**19-08-2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.950 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Banjbagarh-Ruisaan motor road District Chamoli under C.M. Ghoshna falls within jurisdiction of Syanri-Bangali village in Tahsil Ghat

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.950 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Himanshu Khurana
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

ANNEXURE....

Scanned with CamScanner

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
DISTRICT CHAMOLI (UK.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Himanshu Khurana, I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 19-08-2021 at time 11:00 HRS. at .... in which application claiming rights in Village Syanri-bangali, of Tehsil Ghat area measuring 7.950 hect for the **Construction of Banjbagarh-Ruisaan motor road District Chamoli under Hon'ble C.M. Ghoshna** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Ghat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Chamoli
Dated: 19-08-2021

Himanshu Khurana
District Magistrate
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, घाट/चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, घाट

उपखण्ड **घाट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र **थराली** में **बांजबगड़–रूईसांण** मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु (6.533 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.417 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 7.950 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील घाट) की दिनांक 15/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हेमन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी ——————अध्यक्ष

2– श्री ~~बी० सुखप्रकाश~~ उपप्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य

3– श्री ~~सुनील नेगी~~ प्र०श्री० —सहायक समाज कल्याण अधिकारी——सदस्य/सचिव

4– श्री भरत सिंह (उ.प्र.) वनाधिकार समिति सदस्य

5– श्री महिपाल सिंह वनाधिकार समिति सदस्य

6– श्री भरत सिंह वनाधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

Scanned with CamScanner

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 7.950 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **चमोली** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **घाट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग–घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 7.950 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– घाट/चमोली
जनपद–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– घाट/चमोली
जनपद–चमोली

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– 23.1

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 415/2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– स्यारी–बंगाली

तहसील –घाट

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के बांजबगड़ (बंगाली) से विकाखण्ड थराली के रूईसांण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 6.533हे0, आरक्षित वनभूमि 1.417 हे0 सिविल सोयम भूमि.....0.00..हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल...7.950हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत........**स्यारी–बंगाली**.. द्वारा दिनांक 04/06/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.. ....**स्यारी–बंगाली**......... के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ....**लोक निर्माण विभाग**.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत स्यारी बंगाली विकास खण्ड, घाट, चमोली
ह0 [signature]
दि0 4/6/2021

ह0/–
ग्राम सचिव..

ह0/
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाएगा।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र– 23.1

दिनांक..............................को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत...**स्यारी–बंगाली**

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दिनेश सिंह	[illegible]
2	भरत सिंह	[illegible]
3	दीपा देवी	दीपा देवी
4	दिपक सिंह	दिपक सिंह
5	पुष्कर सिंह	अ Arushi negi
6	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
7	कुलाल सिंह	कुलाल सिंह
8	कुसमा देवी	कुसमा
9	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
10	जसवन्त सिंह	जसवन्त सिंह
11	महीपाल सिंह	महिपाल
12	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
13	जसपाल सिंह	जसपाल सिंह
14	दिलबर सिंह	[illegible]
15	कुवर सिंह	[illegible]
16	मोहन सिंह	
17		
18		
19		

प्रधान ग्राम पंचायत स्यारी बंगाली
ह० [illegible]
दि० 4/6/2021
वि०ख० घाट, चमोली

ह०/–
ग्राम प्रधान

Scanned with CamScanner